बिहार में निजी स्कूलों की क्रांति : शहरी पटना में सर्वे से प्राप्त निष्कर्ष

शोधकर्ताः बालदेवन रंगराजू, जेम्स टूली एवं पौलिन डिक्सन

कार्यकारिणी–सारांश

यह तो सर्वज्ञात है कि देश भर में वित्त रहित निजी स्कूल, कम दर वाले स्कूलों सहित कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं। किन्तु इस क्षेत्र का ज्ञान बहुत सीमित है क्योंकि कुछ ही अध्ययनों ने इस स्थिति का ठीक से चित्रण किया है। खासकर इसके पहले ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है जो किसी एक शहर के निजी स्कूलों के परिदृश्य का विश्लेषण करता हो। पटना शहरी क्षेत्र के वित्त रहित निजी स्कूलों की विस्तृत रूप से जमीनी स्तर पर की गई गणना के आधार पर यह अध्ययन हमारी कुल जानकारियां रही हैं, उनकी पूर्ति का प्रयास है। पटना जो द्वितीय श्रेणी का षहर, इसमें जिस परिदृश्य का अभी तक लोगों ने अध्ययन नहीं हुआ किया है हमने उन पर केन्द्रित करते हुए निजी स्कूलों के इस अध्ययन की प्राप्तियों से देश भर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमन का अनुमान लगाया जाएगा।

सरकारी आंकड़े बिहार में शिक्षा के परिदृश्य में निजी शिक्षा को पूरी तरह नगण्य दर्शा रहे हैं। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (DISE) 2008–2009 के अनुसार *संपूर्ण बिहार के लिए* कुल 93 निजी स्कूल होने का अनुमान है। वर्ष 2009–10 के तात्कालिक आंकड़े पूरे राज्य में 14 निजी स्कूल होने का सुझाव देते हैं। हमारे अध्ययन में पाया गया है कि ये आंकड़े सच्चाई को बहुत कम करके आंक रहे हैं। सिर्फ पटना के शहरी क्षेत्र में ही हमारी अध्ययन टीम ने 1, 224 निजी वित्त रहित स्कूल देखे ये भी कम ही हैं क्योंकि हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हमने सारे स्कूल देख लिए हैं। सरकारी आंकड़ों में भले ही ऐसे स्कूलों की संख्या नगण्य हो पर पटना में ऐसे स्कूलों की संख्या अत्यधिक है यानी 78% , जबकि तुलनात्मक रूप से सरकारी स्कूल 21% और वित्त पोषित निजी स्कूल 1% हैं।

वित्त रहित निजी स्कूलों को उन की मासिक फीस के आधार पर जब हमने तीन श्रेणी में बांटा तो हमारा विश्लेषण दिखाता है कि 69% निजी वित्त रहित स्कूल कम दर वाले, 22% सामर्थ्य के अन्दर एवं सिर्फ 9% उच्च दर के हैं। इसी कारण षहरी पटना में कम दर वाले स्कूलों की सबसे बड़ी संख्या वित्त रहित निजी स्कूलों की है जिनकी फीस 300 रूपये मासिक से कम है। ये स्कूल ऐसी जगह नहीं हैं जहां दूसरे स्कूल नहीं हैं। पटना में GIS या सैटेलाइट तकनीक के प्रयोग से हमने पता लगाया कि 1182 निजी स्कूलों एवं 111 सरकारी स्कूलों की स्थिति शायद ही एक सड़क या एक गली निजी स्कूल के बिना हो। गौरतलब है कि सरकारी स्कूल की एक किलोमीटर की परिधि में निजी स्कूलों की संख्या 9 से 93 है।

निजी स्कूलों से जो संख्या हमें प्राप्त हुई और यदि सरकार द्वारा दिए गये आंकड़ों पर विश्वास किया जाए तो नामांकन की दृष्टि से पटना में वित्त रहित निजी स्कूलों में बच्चों के नामांकन की संख्या 65% है जबकि सरकारी स्कूलों में नामांकन संख्या 34% है। इसके अलावा, फीस के अनुसार निजी स्कूलों की उपस्थिति देखें तो यह जानकारी मिलती है कि कम दर वाले स्कूल में सरकारी स्कूलों की तुलना में लगभग बराबर बच्चे हैं यानी 34% की तुलना में 32%। इस तरह षहरी पटना में 3 में से 1 बच्चा निम्न दर वाले निजी स्कूल में पढ़ता है।

ये परिणाम काफी क्रान्तिपूर्ण हैं। अब तक पटना के स्कूलों का कोई ऐसा आंकड़ा नहीं था जिसमें *सभी* वित्त रहित निजी स्कूलों को शामिल किया गया हो। जब से जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (DISE) ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को शामिल नहीं किया था। इस अध्ययन से पता चला कि शहर कें तीन चौथाई स्कूलों को मौजूदा आंकड़ो से बाहर रखा गया था। लगभग 68% आरंभिक स्तर (elementary level) के छात्रों को भी उन्होने बाहर रखा था। इससे प्राईमरी एवं अपर प्राईमरी स्कूलों के लगभग 3, 33, 776 छात्रों में से 2, 38, 764 छात्रों की शिक्षा सूचना नदारद रही।

हमने अपने पूरक विस्तृत रैंडम सैम्पल सर्वे में साक्षात्कार सहित 361 घरों का सर्वे किया। इस सर्वे में पाया गया कि 70% लोग जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनका कहना था कि यदि वे समर्थ होते तो अपने बच्चों को वित्त रहित निजी स्कूलों में भेजते। आधे से अधिक उत्तरदाताओं का कहना था कि सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (quality education) नहीं मिलती। सच्चाई यह भी है कि पांचवा भाग यानी पांच में से एक उत्तरदाता सरकारी स्कूलों को गैर–श्शैक्षिक लाभ की वजह से चुनता है जैसे कि निषुल्क मध्याह्न भोजन (फ्री मिड–डे–मील) एवं निषुल्क वर्दी (फ्री यूनीफॉर्म) आदि के लिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष के अन्दर देश के सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बन्द कर दिए जाएं। इसका मतलब है कि पटना में वित्त रहित लगभग सारे निजी स्कूल बन्द कर दिए जाएंगे जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बन्द हो गये तो शहर के दो–तिहाई बच्चे जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं, कहां जाएंगे क्योंकि सरकारी स्कूलों में इनके एक तिहाई के लिए भी स्थान संभव नहीं है। असल में वित्त रहित निजी स्कूल बन्द करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि मौजूदा संस्थानों के लिए और अधिक अभिनव नीतियों को लाने की जरूरत है जिनका उद्देश्य और अधिक लाभ उठाना हो।

हम एक नई मान्य नीति की सिफारिश कर रहे हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र के गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों को वैधानिक करे और ऐसे निरर्थक कानूनों को नकारे जो शिक्षा की गुणवत्ता तथा बच्चों की शिक्षा प्राप्ति व प्रवेश, नवीनता एवं उद्यमिता में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करते हैं।

षिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करने तथा प्रोत्साहित करने, पारदर्शिता का निम्नतम स्तर सुनिश्चित करने तथा बाजार में निष्पक्षता के लिए सरकार को स्कूल का स्वस्थ प्रणाली या इको–सिस्टम बनाना चाहिए। इसके लिए सभी प्रकार के स्कूलों के षिक्षा क्षेत्र की नीति योजना आधारित प्रमाणिक आंकडे एवं जो स्कूल बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करना जरूरी है। स्कूलों की बेहतर कार्य प्रणाली की प्राप्ति के लिए हम सिफारिश करते हैं कि स्वनियमन द्वारा या खासकर बाहरी संस्थाओं द्वारा पूर्णतः स्पष्ट, अनुसंधान एवं सार्थक आगत और कार्य–निष्पादन सूचकों के आधार पर सभी स्कूलों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाए।